प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **09/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

गंगाराम पुत्र स्व. श्री नारायण लाल टांक(कलाल) पताः ग्राम पंचायत चंगेडी, प.स. मावली, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10/2/25

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 04.11.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/09/25 /22–23 दिनांक 15.01.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर ने जरिये पत्रांकः प./41/2/सू.अ/प्रथम अपील/09/25/51 दिनांक 16.01.224 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 1133–35 दिनांक 06.11.2024 द्वारा उक्त कार्यालय को अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के संबंध में प्रार्थी को भी सूचित कर दिया गया था। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना का संबंध कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय पत्रांक 1133–35 दिनांक 06.11.2024 द्वारा अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के बारे में अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया। जिसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर के विरूद्ध सक्षम प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जानी चाहिए थी जो कि उनके द्वारा नहीं की गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर द्वारा प्रेषित जवाब से न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को लिखवाया जाकर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(नमित मेहता)

प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर